जाए । इस प्रकार तैयार सड़क यातायात के लिए पर्याप्त रहेगी । सूरतगढ़ के दक्षिण की ओर लगभग 60 किलोमीटर लम्बी सड़क की 5.5 मीटर चौड़ा करने के लिए अनुमानित खर्च की मंजूरी दे दी गई है तथा 30 किलोमीटर और सड़क को चौड़ा करने के लिए मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इस तरह, बीकानेर तक का लगभग 50 किलोमीटर लम्बा रास्ता शेष रह जाता है । इस शेष रास्ते को भी चौड़ा करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । इस प्रस्ताव की स्वीकृति साधनों की उपलब्धता और राष्ट्रीय राजमार्गों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करती है ।

ब्यावर-बिलाड़ा रेल लाइन

2840. श्री भगवान देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान नई रेलवे लाइनों संबंधी कार्यक्रम में ब्यावर से बिलाड़ा तक रेल लाइन को भी शामिल किया गया है क्योंकि इससे अजमेर से जोधपुर तथा की दूरी कम हो जाएगी; और

(ख) यदि नहीं, तो नई रेल लाइन बिछाने के बारे में क्या मापदंड अपनाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ब्यावर को बिलाड़ा से जोड़ने के लिए नयी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में लाभदायक नयी लाइनों के निर्माण के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए अप्रैल 1978 में नियुक्त राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने हाल ही में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । योजना आयोग इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है और इस समिति की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर इस लाइन पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा ।

अनुसंधान कार्मिकों को प्रैक्टिस-बंदी भत्ता दिया जाना

2841. श्री भगवान देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेदिक तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद में अनुसंधान कार्मिकों को जो कि औषधियों की देशी पद्धति के संबंध में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, दिये जाने वाला प्रैक्टिस-बंदी भत्ता बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय आयुर्वेदिक तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय तथा उनके मंत्रालय की वित्तीय समिति ने उन्हें पिछली तारीखों से प्रैक्टिस-बंदी भत्ता दिये जाने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां तो उन्हें प्रैक्टिस-बंदी भत्ता भूतलक्षी प्रभाव से कब से दिया जायेगा क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि पद्धति स्वयं एक वैज्ञानिक पद्धति है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) . (क) जी हां ।

(ख) तृतीय वेतन आयोग ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथि के डाक्टरों को प्रैक्टिस-बंदी भत्ता देने की सिफारिश नहीं की थी । उनकी सिफारिश यह थी कि जहां कहीं भी पहले से प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता दिया जा रहा है वहां इसे बंद कर दिया जाये और संबंधित कार्मिकों को इस शर्त पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी जाये कि कार्यालय समय में न तो ऐसी निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी और न ही इससे उनके सरकारी कर्त्तव्य को निभाने में अन्य किसी प्रकार की बाधा पड़ेगी तथापि, बाद में यह समझा गया कि यदि इन डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी जायेगी तो इससे उनके सरकारी कर्त्तव्यों को निभाने में बाधा पड़ेगी ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् तथा अन्य स्वायत्त शासी निकायों के अनुसंधान कार्मिकों को प्रैक्टिस-बंदी भत्ता देने के बारे में भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विचार कर रहा है।

Number of British Passport Holders

2842. SHRI DIGVIJAY SINH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are around 38,000 British passport holders in India seeking a right to settle in U.K.;

(b) which are the larger organisations in India that have petitioned the Government of India for aid, and

(c) what action has Government taken to prevail upon the U.K. Government and with what success?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Government have no figures or estimaes of the numbers of

U.K. Passport holders still waiting to enter British from India.

According to the First Report of the British House of Commons Select Committee on Race Relations & Immigration published on 13 March 1978, the British Home Office in a Memorandum submitted to the Committee on 24 February, 1977 stated, "There are thought to be not more han 38,000 (including dependents) remaining in East and Central Africa who are eligible under the Scheme" of (vouchers for the admission of UK passport holders).

However, according to a further memorandum by British Home Office quotd by the same Committee. "There are thought to be around 38,000 UK passport holders including dependents (who may be any nationality) still eligible to come to UK from India under the Special Vouchers Scheme but there is considerable uncertainty about this figure. It is not possible to give a useful estimate of the numbers who will seek to come here."

(b) The British Passport holders Association of India, Jamnagar and the India-Africa Solidarity League, Rajkot.

(c) While Government have refraind from taking up this issue with the British Government on the ground that it is entirely the latter's responsibility it is hoped that Britain will fulfil its obligations to the UK passport holders expeditiously.

Wages and Service Conditions of Indian Seamen

2843. SHRI M. M. LAWRENCE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Forward Seamen's Union of India have submitted a ten point charter of demands regarding the wages and service conditions of Indian Seamen;

(b) if so, what are those demands; and

(c) whether Government have taken any steps in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) The Forward Seamen's Union of India, Calcutta have submitted a nine point charter of demands to the Secretary Shipowners' side. The National Maritime Board (India), Bombay.

(b) (1) Abolition of casual system of Employment and guaranteed employment for Indian Seamen throughout the year;

(2) Unemployment allowance from 'sign off' to 'sign on' at Rs. 700/- per month;

(3) 78 (Seventy Eight) Sterling Pound per month ILO Minimum Basic Wages;

(4) Abolition of all Anti-Seamen clauses of (i) Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) (ii) Indian Merchant Shipping Act (Seamen's Employment Office, Calcutta/Bombay) Rules 1954, (iii) Indian Merchant Shipping (Seamen's Medical Examination) Rules, 1951, (iv) The Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966). (v) Indian Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 1960 and (vi) Rules for 'Unemployment Relief' to Foreign-Going Indian Seamen;

(5) Abolition of Dual Medical Examination and Resumption of Family Medical Assistance;

(6) Tonnagewise Manning Scale;

(7) Recognition of Union through 'SECRET BALLOT'.

(8) Introduction of 'Yearly Wage Increment' 20 per cent Bonus for all; and

(9) Nationalisation of Shipping Industry, complete eradication of various othr nefarious, anti-seamen acti-